राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2013/ 908 दिनांकः– 10.9.13

आदेश

दिनांक 08.08.2013 को आयोजित "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक की निर्णय के बिन्दु संख्या 16 में जयपुर शहर से बाहर के वृत्त कार्यालयों में लम्बित भू–पट्टी आवंटन के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त की अध्यक्षता में आवासीय अभियन्ता एवं वृत्त कार्यालय में कार्यरत वरिष्टतम लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए एक 'समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति को अपने क्षेत्र में भू–पट्टी के आवंटन के प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। किसी प्रकरण विशेष में अगर मुख्यालय स्तर से मार्ग दर्शन/प्लानिंग की आवश्यकता हो तो प्रकरण मुख्यालय में प्रेषित किया जावेगा। जयपुर शहर के प्रकरणों का पूर्व प्रक्रिया के अनुसार ही निस्तारण किया जावेगा।

अतः समिति के निर्णयानुसार तत्काल उपरोक्तानुसार समिति का गठन किया जाता है तथा लम्बित अतिरिक्त भू–पट्टी के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जावे एवं इसकी सूचना मण्ड़ल मुख्यालय को पृथक से भिजवायी जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Sd
(जी.एस.बाघेला)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड............. राजस्थान आवासन मण्डल...............।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उप निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव